



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122022-241169  
CG-DL-E-17122022-241169

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 673]  
No. 673]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2022/अग्रहायण 25, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2022/AGRAHAYANA 25, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान  
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/211/12/डीडी/104/13/डीसी/454/16.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. प्रवीण कुमार अग्रवाल (सदस्यता संख्या 015159), 23, भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली 110 001 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग I के खंड (7) और (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. प्रवीण कुमार अग्रवाल (सदस्यता संख्या 015159) के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के असाधारण राजपत्र में धारा 4 के भाग III में 6 जुलाई, 2022 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा उक्त सीए. प्रवीण कुमार अग्रवाल (सदस्यता संख्या 015159) के नाम को 6 जुलाई, 2022 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया गया था। समिति के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22छ के निबंधनानुसार एक अपील फाइल की थी और अपीलीय प्राधिकरण ने 20 नवंबर, 2022 को पारित अपने आदेश द्वारा अनुशासन समिति के उक्त आदेश को उपांतरित किया तथा नाम हटाए जाने की अवधि को 01 (एक) वर्ष की अवधि से घटाकर 06 (छह) मास कर दिया है। तदनुसार, अपीलीय प्राधिकरण के उक्त आदेश के अनुसरण में 6 जुलाई, 2022 की अधिसूचना को, जिसके

द्वारा सीए. प्रवीण कुमार अग्रवाल (सदस्यता संख्या 015159) के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया गया था, इस सीमा तक उपांतरित किया जाता है कि सीए. प्रवीण कुमार अग्रवाल (सदस्यता संख्या 015159) का नाम 6 जुलाई, 2022 से 01 (एक) वर्ष की अवधि की जगह 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया गया है।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./490/2022-23]

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**

**(Set up by an Act of Parliament)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th December, 2022

**(CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**No. PR/211/12/DD/104/13/DC/454/16.**—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Praveen Kumar Aggarwal (Membership No. 015159), 23, Bhai Veer Singh Marg, Gole Market, New Delhi 110 001**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (7) & (8) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Praveen Kumar Aggarwal (Membership No. 015159)** from the Register of Members for a period of 01(one) year. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the name of said **CA. Praveen Kumar Aggarwal (Membership No. 015159)** was removed from the Register of Members for a period of 01(One) year with effect from 6<sup>th</sup> July, 2022 vide Notification dated 6<sup>th</sup> July, 2022 published in Part III of Section 4 in Extraordinary Gazette of India. Aggrieved by Order of the Committee, the Respondent preferred an Appeal in terms of Section 22G of the Chartered Accountants Act, 1949 and the Appellate Authority vide its order pronounced on 20<sup>th</sup> November, 2022 had modified the period of removal of name from 01(One) year to 06(six) months. Accordingly, in pursuance of the said order of the Appellate Authority, the notification dated 6<sup>th</sup> July, 2022 wherein the name of **CA. Praveen Kumar Aggarwal (Membership No. 015159)** was removed from the Register of Members for a period of 1(one) year is hereby modified to the extent that the name of **CA. Praveen Kumar Aggarwal (Membership No. 015159)** stands removed for a period of 06(six) months instead of 01(one) year w.e.f. 6<sup>th</sup> July, 2022.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./490/2022-23]